बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग,
(मुख्यालय अनुश्रवण)

संचिका सं0:– CM-edash-05/2020 – 1573 (मो०) /*पटना, दिनांक:–* 17/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, सहरसा।

विषयः– **फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत औराही पश्चिम पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर "रानी पोखर" के जीर्णोद्धार के समय इसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ व बहुमुल्य संपदा की चोरी कार्यरत संवेदक के मिली भगत से किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय, सचिव फनीश्वर नाथ रेणु, समाज सेवा संस्थान, बिहार का पत्रांक–शून्य, दिनांक–21.05.2020**

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय, सचिव फनीश्वर नाथ रेणु, समाज सेवा संस्थान, बिहार** द्वारा सूचित किया गया है कि फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत औराही पश्चिम पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर "रानी पोखर" के मध्य में गड़े सखुआ के जाठ तथा उनके नीचे पोखर की पूजा के समय राजा द्वारा चढ़ाये गये बहुमुल्य धातु के मूर्ति, आभूषण की खुदाई संवेदक एवं स्थानीय प्रतिनिधि की मिलीभगत से चोरी कर ली गयी है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित स्थल की जाँच करते हुए अपने मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु0:–यथोक्त्।

विश्वासभाजन,
17/8/2020
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1573 (मो०) **/पटना, दिनांक–** 17/8/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/2020
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1573 (मो०) **/पटना, दिनांक–** 17/8/2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/2020
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1573 (मो०) **/पटना, दिनांक–** 17/8/2020

प्रतिलिपिः– श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय, सचिव फनीश्वर नाथ रेणु, समाज सेवा संस्थान, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/2020
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\MANISH 2020\AUG 2020\E.E SAHARSA-05.08.20.DOC

...neshwer Prasad Roy
Social Activist & Nature Lover
Secretary: FanishwerNath Renu Samaj
Sewa Sansthan Bihar

Residense
Renugaon Aurahi
P.s./Dist-Araria(Bihar)
Mob.-9135266009

मंत्री, जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना
गै०स०प्रे०स० 170
दिनांक 9-6-2020

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं० 642
दिनांक 18.06.2020

दिनांक: 21.03.2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल,
अररिया।

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 23 JUN 2020 (अपर मुख्य सचिव)

आप्त सचिव, मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

विषय: फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत औराही पश्चिम पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर "रानी पोखर" के जीर्णोद्धार के समय इसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ व बहुमूल्य संपदा की चोरी कार्यरत संवेदक के मिली भगत से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे पैतृक गाँव में विषयांकित "रानी पोखर" जिसका निर्माण लगभग 250 साल पूर्व किसी राजा के द्वारा करवाकर अपनी रानी को उपहार स्वरूप दिया गया था। जिस धरोहर की देखरेख अब बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य जल जीवन हरियाली मिशन योजनान्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, अररिया द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य को कर रहे संवेदक द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि की मिलीभगत से रानी पोखर के मध्य में गड़े सखुआ के "जाठ" तथा उनके नीचे पोखर की पूजा के समय राजा द्वारा चढ़ाये गये बहुमूल्य धातु के मूर्ति, आभूषण की खुदाई कर चोरी कर ली गयी है।

ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि यह पोखर राजा के द्वारा बनवाया गया था, पोखर की पूजा के दौरान राजा के द्वारा खजाना रखा गया था जिसके ऊपर सखुआ की "जाठ" को रखा गया था। जिसकी भनक यहाँ के असामाजिक तत्वों और स्थानीय प्रतिनिधियों को थी। इनलोगों ने संबंधित संवेदक से तालमेल कर इस ऐतिहासिक व पौराणिक पोखर के अस्तित्व से छेड़छाड़ कर उसके मध्य गड़े बहुमूल्य धातु जड़ित सखुआ के लकड़ी के "जाठ" को उखाड़ उसके नीचे दबे खजाने की चोरी कर दबा दिया है।

आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पोखर का जीर्णोद्धार 05 फीट की खुदाई कर ही किया जाना था तो फिर पोखर के मध्य में गड़े

अ०स०अभि०(अनु०)

आप्त सचिव, मंत्री के आप्त सचिव लघु जल संसाधन विभाग, कृपया निदेशानुसार

प्रधान सचिव, कृपया आवेदन पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई ... 17-6-2020 (नरेन्द्र नारायण यादव)

23/6/20
27/6/20
6-2020

shwer Prasad Roy
ial Activist & Nature Lover
tary: FanishwerNath Renu Samaj
Sewa Sansthan Bihar

Residense
Renugaon Aurahi
P.s./Dist-Araria(Bihar)
Mob.-9135266009

10-12 फीट तक गड़े "जाठ" को उखाड़ने की क्या आवश्यकता थी। खुदाई में मिले धातु और खजाना की जानकारी संबंधित संवेदक द्वारा आपके विभाग को क्यों नहीं दी गयी। आखिर किसके इशारा पर संवेदक द्वारा रात के 2-3 बजे तक 'जाठ' और उसके नीचे दबे खजाने की खुदाई की गयी है। इतने पौराणिक व ऐतिहासिक पोखर के खुदाई के समय विभाग के कोई अधिकारी कार्यस्थल पर मौजूद क्यों नहीं थे। आखिर संवेदक किसके इजाजत से पोखर की खुदाई रात के 3 बजे तक कर रहे थे। संबंधित संवेदक का यह सारा हरकत स्थानीय प्रतिनिधि के साथ मिलकर बहुमूल्य धातु के खजाने को निकालकर गबन करने को दर्शाता है।

उक्त पोखर की "जाठ" की खुदाई 17.05.2020 को मध्यरात्रि में कर सारा खजाना को निकाल लिया गया था जबकि इसकी भनक ग्रामीणों को 19.05.2020 को लगी। आखिर किस कारण से संवेदक ने इस गंभीर मामले एवं बरामद बहुमूल्य धातु को सार्वजनिक नहीं किया। संवेदक ने जानबूझकर इस चोरी व गबन को स्थानीय प्रतिनिधि को बचाने के उद्देश्य से छिपाने का प्रयास किया गया।

किसी भी पोखर की मान्यता, पौराणिकता व अस्तित्व उसकी धार्मिक भावना से जुड़ा होता है पोखर के मध्य गड़ा 'जाठ'। आखिर उसे उखाड़ने या उसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्या थी जबकि बिना 'जाठ' को छेड़छाड़ किये बिना भी जीर्णोद्धार संभव था।

अतः उपरोक्त तथ्यों को गंभीरता से लेते हुये दोषी संवेदक व स्थानीय संलिप्त व्यक्तियों के कृत्य की जाँच कर कार्रवाई करते हुये, पुरातत्विक विभाग व जिला प्रशासन की मौजूदगी में कार्य करवाया जाय।

विश्वासभाजन

दिनेश्वर प्रसाद राय
21/5/20
(दिनेश्वर प्रसाद राय)

प्रतिलिपि:
1. जिला पदाधिकारी, अररिया।
2. पुलिस अधीक्षक, अररिया।
3. माननीय मंत्री, विचार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना।
5. प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णियाँ।

को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।